न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या 33/2022 (जीसीएमएस नम्बर 2022/53)

1. रमेश पुत्र बृजमोहन,
2. दिनेश पुत्र बृजमोहन,
3. सुनीता पत्नि सुरेश,
4. राजकुमार,
5. पंकज कुमार, पिसरान सुरेश,
   समस्त जाति ब्राहमण निवासी दुलापुरा तहसील महवा जिला दौसा।

– अपीलान्ट्स

बनाम

1. कैलाश पुत्र बृजमोहन,
2. गिरधारी पुत्र बृजमोहन,
3. ललिता देवी पत्नि महेश,
4. जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र स्व0 महेश, समस्त जाति ब्राहमण निवासी दुलापुरा तहसील महवा जिला दौसा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील महवा जिला दौसा।
6. उप पंजीयक तहसील महवा जिला दौसा।

– रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा निर्णय दिनांक 11.03.2022 उनवानी प्रकरण रमेश बनाम कैलाश मुकदमा नम्बर 5/14 अपील नामान्तकरण

उपस्थित :–

1. श्री अशोक कुमार जोशी, वकील अपीलान्ट।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. नं. 5 व 6 की ओर से।

निर्णय

दिनांक –22.11.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.03.2022 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम दूल्हापुरा, तहसील महवा के नामान्तरकरण संख्या 13 दिनांक 08.06.1959 को निरस्त करवाने बाबत अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा, जिला दौसा के समक्ष अपीलान्ट रमेश पुत्र बृजमोहन द्वारा अपील प्रस्तुत की गयी। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.03.2022 द्वारा अपील अपीलान्ट अबैटमेन्ट में खारिज करने के आदेश पारित किये गये है।

3. उपखण्ड अधिकारी महवा, जिला दौसा के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.03.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट रमेश द्वारा यह अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा, जिला दौसा के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.03.2022 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट्स द्वारा ग्राम दूल्हापुरा, तहसील महवा के नामान्तरकरण संख्या 13 दिनांक 08.06.1959 को निरस्त करवाने बाबत अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा, जिला दौसा के समक्ष पेश की गयी थी। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट्स 1 लगायत 5 के बाबा भीखाराम एवं पिता बृजमोहन का देहान्त हो चुका है। जिनके ये सभी वारिस है। हाल खसरा नम्बर 394 रकबा 1.17 हैक्टेयर वाके ग्राम दूल्हापुरा में स्थित है। जिसमें अपीलान्ट का 1/2 हिस्सा तथा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

रेस्पोडेन्ट नं. 1 का 1/6 हिस्सा, रेस्पोडेन्ट नं. 2 का 1/6, रेस्पोडेन्ट नं. 3 लगायत 5 का 1/6 हिस्सा है। और इसी प्रकार वे अपने पिता के जीवन काल से ही काबिज काश्त करते चल आ रहे हैं लेकिन रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने उक्त भूमि का एक इनिशियो वाईड एवं शून्य व प्रभावहीन नामान्तकरण जैर अपील अपने हक में गुप्त रूप से तस्दीक करा लिया था। उक्त अवैध नामान्तकरण संख्या 13 दिनांक 08.06.1959 के विरूद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन थी। इसी दौरान अपीलान्ट संख्या 2 सुरेश का स्वर्गवास दिनांक 23.09.2017 को हो गया, जिसके वारिसान अपीलान्ट नंबर 3 लगायत 5 है। जिनको उक्त अपील की कोई जानकारी नही थी क्योंकि उक्त प्रकरण को अपीलान्ट नंबर 3 लगायत 5 का पिता सुरेश ही पैरवी करता था तथा सुरेश के भाई रमेश व दिनेश की तरफ से भी सुरेश ही पैरवी करते थे। सुरेश की मृत्यु हो जाने पर अपीलान्ट नंबर 1 व 2 ने एक प्रार्थना पत्र कायम मुकाम पेश किया। अपीलान्ट जो कि देहाती अनपढ व कानून कायदो से अनभिज्ञ व्यक्ति है, उनको यह कानूनी जानकारी नहीं थी कि किसी भी पक्षकार के मरने पर 90 दिवस में कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र पेश करना कानूनन जरूरी होता है। अपीलान्ट नंबर 1 व 2 व मृतक सुरेश ने अधिनस्थ न्यायालय में अपना वकील भी नियुक्त कर रखा था तथा वो ही उपस्थित होकर पैरवी करते थे। उक्त प्रार्थना पत्र कायम मुकाम व प्रार्थना पत्र दफा 5 का रेस्पोडेन्ट्स के अधिवक्ता द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया व सीधी बहस की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवैधानिक तरीके से दिनांक 11.03.2022 को उक्त प्रार्थना पत्र कायम मुकाम निर्धारित समय अवधि में प्रस्तुत नही करने पर अपील को अबेट मानते हुए अवैध रूप से अपीलान्ट की अपील अबेटमेन्ट के आधार पर खारिज करने का अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जबकि उक्त गलती महज एक तकनीकी त्रुटि है।

प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त भी यही कहता है कि तकनीकी त्रुटि के कारण किसी को उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर बिना विचार किये ही अपीलान्ट की अपील अबेट मानते हुए खारिज करने में कानूनी गलती की है। उन्होनें आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट्स की ओर से प्रार्थना पत्र कायम मुकाम का न तो कोई जवाब पेश किया और न ही किसी प्रकार का कोई खण्डन किया और न ही कोई शपथ पत्र पेश किया। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपील को अबेट मानकर खारिज करने में कानूनी गलती की है। उन्होनें यह भी कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तीन अपीलार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत की गई थी जिनमें से एक अपीलान्ट सुरेश की ही मृत्यु हुई थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने सभी अपीलान्ट की पूरी अपील को ही अबेट कर दी जबकि मृतक सुरेश तक ही अबेट होना चाहिए था शेष अपीलान्ट को तो गुणावगुण पर सुनना चाहिए था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अवैध तरीके से अपीलान्ट की पूरी अपील ही अबेटमेन्ट के आधार पर खारिज किया है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण नामान्तकरण से संबंधी विचाराधीन था जिसमें हक व अधिकार तय होने थे तथा प्रकरण का मैरिट पर निस्तारण होना आवश्यक था, परन्तु योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मैरिट पर नहीं करके तकनीकी आधार पर अपील अबेट कर खारिज फरमा दी जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय व राजस्व मंडल द्वारा अनेकों न्यायिक दृष्टान्तों में तकनीकी आधार पर प्रकरण खारिज न कर गुणावगुण पर निर्णय करने बाबत निर्देश जारी किये गये हैं। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.03.2022 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत कायम मुकामान का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को पत्रावली इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जावे कि मृतक सुरेश के वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया जाकर अपील नामान्तकरण का निस्तारण मैरिट पर गुणावगुण के आधार पर किया जावे।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 5 व 6 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट संख्या 2 की मृत्यु एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की मृत्यु की सूचना दिनांक 04.03.2021 को तीन वर्ष पश्चात दी गयी थी। सूचना देरी से दिये जाने का कोई कारण भी नहीं बताया है। इसलिये अपील

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

को अबेटमेन्ट में खारिज की गयी है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अतः अपील में कोई सार नहीं होने से अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा, जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.03.2022 को यथावत रखा जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलान्ट द्वारा अपीलान्ट संख्या 2 सुरेश का स्वर्गवास दिनांक 23.09.2017 को हो जाने पर एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4 नीतेश का स्वर्गवास दिनांक 09.12.2019 हो जाने पर उनका प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 व 4 जा.दी. मय शपथ पत्र तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम दिनांक 04.03.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की बहस सुनकर उक्त प्रार्थना पत्र निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नही होने के कारण अपील अबेटमेन्ट में खारिज की गई है जिससे अपील का गुणावगुण पर निस्तारण नही हुआ है जबकि प्रार्थना पत्रादि समय पर प्रस्तुत नही होना एक तकनीकी त्रुटि की श्रेणी में आता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय व राजस्व मंडल की अनेकों न्यायिक दृष्टान्तों में तकनीकी आधार पर प्रकरण खारिज न कर गुणावगुण पर निर्णय करने बाबत तथ्य को अपने निर्णयों में माना है। ऐसी स्थिति न्यायहित में एवं प्रकरण के गुणावगुण पर निस्तारण के तथ्यों के मद्देनजर अपीलार्थी की अपील को राशि 5000/–अक्षरे पांच हजार रूपये की कोस्ट पर रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित होगा।

अतः आदेश हैं कि – अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.03.2022 निरस्त किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्रादि यथा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 व 4 एवं उक्त प्रार्थना पत्र में विलम्ब के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम, रू. 5000/–अक्षरे पॉच हजार रूपये की कोस्ट पर स्वीकार किये जाते है तथा मृतक अपीलार्थी संख्या 2 सुरेश के वारिसान को रिकार्ड पर लिया जाता है एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4 नीतेश के वारिसान पूर्व से ही रिकार्ड पर होने से रेस्पोडेन्ट संख्या 4 नीतेश का नाम हजफ किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में विधिवत निर्णय कर अपीलार्थीगण की नामान्तकरण अपील के सम्बन्ध में उभयपक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर प्रकरण का गुणावगुण के आधार विधिसम्मत निर्णय पारित करें। कोस्ट की राशि निर्णय पूर्व राजकोष में जमा करवायी जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
(डॉ. प्रवीण कुमार)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 22.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर।